भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा

23.07.2025 के
तारांकित प्रश्न सं. 58 का उत्तर

रेलवे में आपातकालीन चिकित्सा केंद्र

*58. श्री नलिन सोरेन:
श्री सतपाल ब्रहमचारी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान झारखंड, हरियाणा तथा जम्मू और कश्मीर में सभी रेलवे स्टेशनों और यात्री रेलगाड़ियों में आपातकालीन चिकित्सा केन्द्रों की स्थापना के संबंध में कोई अध्ययन/सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो रेलवे स्टेशनों और यात्री रेलगाड़ियों में चिकित्सा सहायता/आपातकालीन केन्द्र स्थापित करने के लिए उठाए गए कदमों सहित तत्संबंधी राज्य-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) रेलवे में प्राथमिक चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए कार्यरत प्रशिक्षित फ्रंटलाइन कर्मचारियों की कुल संख्या का राज्य-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त राज्यों में ऐसे रेलवे स्टेशनों की संख्या और उनका स्टेशन-वार ब्यौरा क्या है जहां रेलवे एम्बुलेंस उपलब्ध करा दी गई हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

******

**दिनांक 23.07.2025 को लोक सभा के तारांकित प्रश्न सं. 58 के भाग (क) से (घ) के उत्तर से संबंधित विवरण।**

**(क) से (घ): माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रेलवे स्टेशनों और रेलगाड़ियों में चिकित्सा सुविधाएँ मुहैया कराने की आवश्यकता और इनका विस्तार करने की जाँच की गई थी। इन आदेशों के अनुपालन में, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली में विशेषज्ञों की एक समिति गठित की गई। विशेषज्ञों की समिति की अनुशंसा के अनुसार, सभी रेलवे स्टेशनों और यात्री गाड़ियों में जीवन रक्षक दवाओं, उपकरणों, ऑक्सीजन सिलेंडर आदि से युक्त एक मेडिकल बॉक्स मुहैया कराने के अनुदेश जारी किए गए हैं।**

**अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों, जैसे रेल टिकट परीक्षक, ट्रेन गार्ड/अधीक्षक, स्टेशन मास्टर आदि को प्राथमिक उपचार प्रदान करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। ऐसे कर्मचारियों के लिए नियमित रूप से पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। चिकित्सा आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए 16,14,748 अग्रिम पंक्ति के रेल कर्मचारियों को (दिनांक 01.04.2022 से 30.06.2025 तक) प्रशिक्षित किया गया है। सभी रेलवे स्टेशनों पर निकटवर्ती अस्पतालों और डॉक्टरों की सूची उनके संपर्क नंबर सहित उपलब्ध कराई गई है।**

**रेलवे, राज्य सरकार/निजी अस्पतालों और एम्बुलेंस सेवा प्रदाताओं की एम्बुलेंस सेवाओं का उपयोग घायल/बीमार यात्रियों को अस्पतालों/डॉक्टरों के चिकित्सालयों तक पहुंचाने के लिए किया जाता है।**

******